सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय, महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 07/2019 दिनांक 30.05.2019

O/o CE (EITC)
Receipt No. 2526
Date 17 JUL 2019
DGM (IT) / SE (O)
EE web
Section ....
17/7 18/7

श्री भूपेंद्र वर्मा
नयागंज वार्ड, भाटापारा,
जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा
(छ0ग0) पिन– 493118

अपीलार्थी

,विरूद्ध

श्री सुनील कुमार खरे
जनसूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 16/07/2019 को पारित)

अपीलार्थी श्री भूपेंद्र वर्मा की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ0 ग0 स्टे0 पॉ0 हो0 कं0 लिमि0, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 07/2019 दिनांक 30.05.2019 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री भूपेंद्र वर्मा ने आवेदन दिनांक 08.04.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी से निम्नलिखित जानकारी चाही गई है :–

"छ0रा0वि0मं0/कंपनी में कार्यरत वर्ग 1,2,3, एवं 4 कर्मचारी/अधिकारी के पदानियुक्ति के अनुरूप कार्य प्रणाली के संबंध में कंपनी के नियमावली की प्रमाणित प्रति।"

अपीलार्थी का लेख कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उनके द्वारा जानकारी मांगी गई थी, जो कि आपके पत्र कमांक 159 दिनांक 12.04.2019 के द्वारा संबंधित विभाग को पत्र लिखकर जानकारी उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया, किन्तु आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है। जबकि जनसूचना अधिकारी (कार्या0–प्रबंध निदेशक पारेषण) एवं वरिष्ठ कल्याण अधिकारी कार्या. उपमहाप्रबंधक (मा.सं.) छ.ग.रा.वि.पारे.कं.मर्या., डंगनिया रायपुर के पत्र कमांक 904 दिनांक 08.05.2019 के माध्यम से जो जानकारी उपलब्ध करायी गई है वह भ्रामक एवं अपूर्ण है।

(3) उक्त दर्ज अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र.–07/2019/12 दिनांक 14.06.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को दिनांक 26.06.2019 को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्री वर्मा को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। नियत तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित एवं प्रतिअपीलार्थी उपस्थित हुए। वस्तुतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न नही की जा सकी।

उपरोक्त के दृष्टिगत अपीलार्थी को प्रकरण में सुनवाई का समुचित (अंतिम) अवसर प्रदान करते हुए अपील प्रकरण की सुनवाई दिनांक 10.07.2019 को सांय 4:00 बजे निर्धारित की गई, जिसकी सूचना उभय पक्षो को पत्र क्रमांक 14 दिनांक 01.07.2019 के द्वारा दी गई। निर्धारित तिथि को अपीलार्थी पुनः अनुपस्थित एवं प्रतिअपीलार्थी उपस्थित हुए। अतएव प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

(4) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि कंडिका 02 टीप में आवेदक द्वारा वांछित जानकारी इस कार्यालय (होल्डिंग कंपनी) के अतिरिक्त अन्य पॉवर कंपनीज यथा जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के (मानव संसाधन) कार्यालयों से संबंधित होने के कारण प्रकरण धारा (6)(3) के अंतर्गत सभी कंपनी के (मानव संसाधन) कार्यालयों को पत्र क्रमांक 159 दिनांक 12.04.2019 के द्वारा अंतरित किया गया है।

इस कार्यालय (होल्डिंग कंपनी) से संबंधित जानकारी उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक/दो से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र क्रमांक 165 दिनांक 15.04.2019 के द्वारा लेख किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में संबंधित प्रभाग के द्वारा अवगत कराया गया कि **वर्तमान में छ0ग0स्टे0पॉ0कंपनीज की संरचना में वर्ग 1,2,3, तथा 4 के कुल 191 पद है। आवेदक के द्वारा किस पद विशेष के कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी चाही गई है, स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है। अतः जानकारी स्पष्ट नही होने के कारण उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।**

उक्ताशय के दृष्टिगत निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 396 दिनांक 07.05.2019 के माध्यम से आवेदक को उनके द्वारा दिये गये पते पर उक्त वस्तुस्थिति से अवगत करायी गई है।

(5) अपील के निराकरण की कार्यवाही एक अर्द्ध न्यायिक प्रकृति की है। अतएव अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

(i) अपीलार्थी को अपील सुनवाई का 02 समुचित अवसर प्रदान किया गया, किन्तु वे दोनों अवसरों में इस कार्यालय में अनुपस्थित रहे।

(ii) सुनवाई के दौरान दस्तावेजों का अवलोकन कर, प्रतिअपीलार्थी के पक्ष श्रवण किये गये।

(iii) अपीलार्थी का अपील आवेदन तर्क कि उनके द्वारा वांछित जानकारी उन्हे आज दिनांक तक अप्राप्त है। जबकि जनसूचना अधिकारी (कार्या0–प्रबंध निदेशक पारेषण) एवं वरिष्ठ कल्याण अधिकारी कार्या. उपमहाप्रबंधक (मा.सं.) छ.ग.रा.वि.पारे.कं.मर्या., डंगनिया रायपुर के द्वारा जो जानकारी उपलब्ध करायी गई है वह भ्रामक एवं अपूर्ण है।

(iv) उक्ताशय के परिप्रेक्ष्य में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी का प्रत्युत्तर कि कंडिका 02/टीप में आवेदक द्वारा वांछित जानकारी के संबंध में उन्हे निर्धारित समयावधि के भीतर कंड़िका 04/–टीप में उल्लेखित जानकारी के वस्तुस्थिति से अवगत करायी गई है।

उल्लेखनीय है कि छ0ग0स्टे0पॉ0कंपनीज की संरचना में वर्ग 1,2,3, तथा 4 के कुल 191 पद है। अतएव आवेदक के द्वारा किस पद विशेष के कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी चाही गई है यह स्पष्ट नही होने के कारण उन्हे जानकारी उपलब्ध नही करायी जा सकी। जहाँ तक जनसूचना अधिकारी (कार्या0–प्रबंध निदेशक पारेषण) एवं वरिष्ठ कल्याण अधिकारी कार्या. उपमहाप्रबंधक (मा.सं.) छ.ग.रा.वि.पारे. कं.मर्या., डंगनिया रायपुर के पत्र क्रमांक 904 दिनांक 08.05.2019 का प्रश्न है, उपरोक्त के संदर्भ में आवेदक संबंधित कार्यालय में नियमानुसार शुल्क का भुगतान कर वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर सकते है। तथा जानकारी से संतुष्ट नही होने पर संबंधित कार्यालय के अपीलीय अधिकारी के समक्ष नियमानुसार प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 159 दिनांक 12.04.2019 के संबंध में जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.) कार्या0– महाप्रबंधक (मा.सं.) छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि. रायपुर के द्वारा पत्र क्रमांक 1286 दिनांक 06.05.2019 जो आवेदक को संबोधित एवं प्रतिलिपि इस कार्यालय को पृष्ठांकित है के द्वारा आवेदक को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा वांछित जानकारी 57 छायापृष्ठों में उपलब्ध है। अतएव कुल रूपये 114/–मात्र का अभिलेख शुल्क का भुगतान कर उक्त जानकारी प्राप्त करे, अथवा धारा 7(9) के तहत संबधित दस्तावेजों का अवलोकन किया जा सकता है।

जनसूचना अधिकारी कार्या0– मुख्य अभियंता (मा.सं.) छ.ग.स्टे.पा.जन.कं.लिमि. रायपुर का पत्र क्रमांक 349 दिनांक 02.05.2019 जो इस कार्यालय को संबोधित एवं प्रतिलिपि आवेदक को पृष्ठांकित है के द्वारा अवगत कराया गया है कि वांछित जानकारी इस कार्यालय के कार्यक्षेत्र में उपलब्ध नही है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को कंडिका 04/–टीप के माध्यम से वांछित जानकारी के वस्तुस्थिति से जो अवगत करायी गई है, वह उचित परिलक्षित होता है।

(I) कंडिका 04/–टीप में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में अन्य जो कार्यवाही किया गया है वह विधि संगत है जो पूर्णतः स्वीकार योग्य है।

उक्त कंड़िका के दृष्टिगत अपीलार्थी यदि छ0ग0स्टे0पॉ0कंपनीज की संरचना में वर्ग 1,2,3, तथा 4 के कुल 191 पदों में से किस पद विशेष के कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी/दस्तावेज चाहते है यह स्पष्ट उल्लेख कर, इस कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार जानकारी नियमानुसार सःशुल्क प्राप्त कर सकते है। अन्यथा अधिनियम की धारा 7(9) के अंतर्गत कार्यालय में उपस्थित होकर सबंधित दस्तावेज का अवलोकन कर जानकारी चिन्हित कर दस्तावेज नियमानुसार प्राप्त कर सकते है।

(II) जहॉ तक कंडिका 5 **(iii)** में उल्लेखित जनसूचना अधिकारी (कार्या0–प्रबंध निदेशक पारेषण) एवं वरिष्ठ कल्याण अधिकारी कार्या. उपमहाप्रबंधक (मा.सं.) छ.ग.रा.वि.पारे.कं.मर्या., डंगनिया रायपुर के पत्र क्रमांक 904 दिनांक 08.05.2019 का प्रश्न है, उक्ताशय के संबंध में अपीलार्थी संबंधित कार्यालय में नियमानुसार अभिलेख शुल्क का भुगतान कर जानकारी/दस्तावेज प्राप्त करें तथा उपलब्ध करायी गई जानकारी से असंतुष्ट होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय के अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। तथा जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.) कार्या0– महाप्रबंधक (मा.सं.) छ.ग.स्टे. पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि. रायपुर के पत्र क्रमांक 1286 दिनांक 06.05.2019 के संदर्भ में कुल 57 छायापृष्ठों की जानकारी/दस्तावेज हेतु अपीलार्थी निर्धारित अभिलेख शुल्क का भुगतान/जमा (उक्त कार्यालय में कर) जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर सकते है अथवा सूचना का अधिकार अधिनियम धरा 7(9) के अंतर्गत सबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त दस्तावेजों का अवलोकन कर सकते है।

जहॉ तक अपीलार्थी की अपील का प्रश्न है, पूर्वगामी विवेचन के प्रकाश में अपीलार्थी कंड़िका 06/–टीप के दृष्टिगत वांछित जानकारी/दस्तावेज नियमानुसार प्राप्त कर सकते है। अतएव दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पं.क्रं. 07/2019 दिनांक 30.05.2019) एतद् द्वारा अस्वीकार कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

Hemisk

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर
दूरभाष क्रमांक –0771–2574700

मांक :– 01–02/अपील प्रकरण –07/2019/ 16 रायपुर, दिनांक 16/07/2019

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री भूपेंद्र वर्मा कल्याण सागर रोड़, नयागंज वार्ड, भाटापारा, जिला– बलौदाबाजार– भाटापारा (छ0ग0) पिन– 493118 को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर
जिला– रायपुर (छ.ग.) पिन – 492002
दूरभाष– 0771–2512106, 2512108

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

EITC